रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 31, 2013/कार्तिक 9, 1935
No. 547] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 31, 2013/KARTIKA 9, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2013

सा.का.नि. 715 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (कलेक्शन टेंडर समूह 'घ') भर्ती नियम, 1990 को, जहाँ तक उनका संबंध कलेक्शन टेंडर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में क्षेत्र सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, क्षेत्र सहायक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान** : उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4 **निरर्हता** : वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
1	2	3	4	5	6
क्षेत्र सहायक	47* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1 5200–20200रू +. ग्रेड वेतन 1900 रू.	अचयन	27 वर्ष से अधिक नही (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यार्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण** : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा नियत होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
7	8	9
आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान विषय के साथ बारहवीं कक्षा पास (2) अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के साथ क्षेत्र कार्य कर्तव्यों का भार अपने ऊपर लेने में समर्थ हो। **वांछनीय :** (1) हिन्दी लिखने और पढ़ने में समर्थ हो (2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या संगठन या संस्थान या स्वायत्त निकाय से प्राणि के नमूनों के संग्रह की पद्धति का अनुभव हो। **टिप्पण** – अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताः नहीं, परंतु आठवीं कक्षा पास हो ।	केवल सीधे भर्ती हुए व्यक्ति के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्त/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
10	11
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	ऐसे क्षेत्र सहायक (जिसमें बहुकार्य कर्मचारिवृन्द भी हैं) जिनकी वेतन बैंड–1, 5200–20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में तीन वर्ष की नियमित सेवा है। **टिप्पण 1** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– (1) निदेशक, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण –अध्यक्ष (2) कार्यालय का प्रधान, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण –सदस्य (3) कार्यालय का प्रधान, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण –सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 02–01/2012–सी.एस.जैड.]

जेरोम मिंज, उप-सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2013

G.S.R. 715 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Collection Tender-Group 'D') Recruitment Rules, 1990, in so far as they relate to the post of Collection Tender, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Field Assistant in the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, namely :—

1. **Short title and commencement.–** (1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, Field Assistant, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**– The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**– No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Field Assistant	47* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900	Non selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
6	7	8	9	10
Not exceeding 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission	**Essential :** (i) 12th class pass with Biology from a recognised Board or University. (ii) Ability to undertake field duties with officers and staff. **Desirable :** (i) Ability to read and write in Hindi. (ii) Experience in method of collection of Zoological specimens from a Central Government or State Government Department or Organisation or Institute or Autonomous Body. **Note :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of the candidates otherwise well qualified	Age : No Educational Qualification : No, but must be eighth standard pass	Two years for direct recruits only	Promotion, failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Filed Attendant (with multi-tasking) with three years' regular service in pay band-1, Rs. 5200—20200 plus grade pay Rs. 1800. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Director, Zoological Survey of India – Chairman 2. Head of Office, Botanical Survey of India – Member 3. Head of Office, Zoological Survey of India – Member Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director, Zoological Survey of India – Chairman 2. Head of Office, Botanical Survey of India – Member 3. Head of Office, Zoological Survey of India – Member.	Not applicable.

4606 GI/13-2

revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.		

[F. No. 02-01/2012-csz]

JEROME MINZ, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2013

सा.का.नि. 716 (अ).––राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग–3 पद) भर्ती नियम, 1963 को, जहां तक उनका संबंध भंडार सहायक पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में भंडार सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भंडार सहायक, समूह "ग" पद, भर्ती नियम, 2013 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान** : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और अर्हताएं आदि** : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षित अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भंडार सहायक	01*(2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है*।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित) अनुसचिवीय	वेतन बैंड– 1: 5200–20200रु. +ग्रेड वेतन 2400रु	अचयन	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्त/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्त/आमेलन किया जाएगा।
10	11
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति** : ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिनकी वेतन बैंड–1, 5200–20200 रु + ग्रेड वेतन 1900 रु की श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा है। **टिप्पण–1** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण–2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के लिए प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थान ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: (i) निदेशक, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, – अध्यक्ष; कोलकाता (ii) कार्यालय प्रधान, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण,– सदस्य; कोलकाता (iii) कार्यालय प्रधान, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, – सदस्य; कोलकाता	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 02–12/2012–सी.एस.जैड.]

जेरोम मिंज, उप-सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2013

G.S.R. 716 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Central Service Class-III posts) Recruitment Rules, 1963, insofar as they relate to the post of Stores Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stores Assistant in the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, namely:-

1. **Short title and commencement.**– (1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, Stores Assistant, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**– The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**– The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**– Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Stores Assistant.	01* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-1: Rs. 5200-20200 plus *grade pay*- Rs. 2400.	Non-selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Lower Division Clerk in pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900 with eight years' regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2** : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Director, Zoological Survey of India, Kolkata – Chairman; 2. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata – Member; 3. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata – Member.	Not applicable

[F. No. 02-12/2012-csz]

JEROME MINZ, Dy. Secy.

4606 GI/13-3

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2013

सा.का.नि. 717 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण अकानूनी कैंटीन परिचर समूह 'ग' और समूह 'घ' भर्ती नियम, 2002 को, जहाँ तक उनका संबंध टी/काफी मेकर और बैरा के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण में कैंटीन परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, अकानूनी कैंटीन परिचर, समूह "ग" पद, भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
1	2	3	4	5	6
कैंटीन परिचर	4' (2012)/13 ' कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है'।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड–1, 5200–20200रू + ग्रेड वेतन 1800रू	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अधिक नहीं । केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनूसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है **टिप्पण** : आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षित अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्त/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्त/आमेलन किया जाएगा।
7	8	9	10	11
किसी मन्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति –समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:– (i) निदेशक, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, – कोलकाता –अध्यक्ष (ii) कार्यालय का प्रधान, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, – कोलकाता –सदस्य (iii) कार्यालय का प्रधान, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, – कोलकाता –सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 02–18/2012–सी.एस.जैड]

जेरोम मिंज, उप-सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2013

G.S.R. 717 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, Non-statutory Canteen, Group 'C' and Group 'D' Posts, Recruitment Rules, 2002, in so far as they relate to the posts of Tea/ Coffee Maker and Bearer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Canteen Attendant in the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, namely:-

1. **Short title and commencement.**– (1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, Non-statutory Canteen, Canteen Attendant, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.–** The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification.–** No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Canteen Attendant	4* (2012) *Subject to variation dependenton workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay-Rs. 1800	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
6	7	8	9	10
Not exceeding 25 years. (Relaxable for Government servants	Matriculation or equivalent pass from a recognised Board	Not applicable	Two years	Direct recruitment

up to 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.				

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 4. Director, Zoological Survey of India, Kolkata –Chairman; 5. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata – Member; 6. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata –Member	Not applicable

[F. No. 02-18/2012-csz]

JEROME MINZ, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2013

सा.का.नि. 718 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1963 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण में प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण, (प्रयोगशाला सहायक) समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अहर्ताएं.**– उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहर्ता** : वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
1	2	3	4	5	6	7
प्रयोगशाला सहायक	48* (2013) * 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है'।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' पद (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड– 1: 5200–20200रू +ग्रेड वेतन 2000रु	अचयन	27 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1**:– आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू– कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2**:– रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	**आवश्यक:**– (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में जीव विज्ञान सहित हायर सेकेंडरी (10+2 वर्षीय पाठ्यक्रम) या समतुल्य; **वांछनीय:**– (1) प्राणिविज्ञान प्रयोगशाला में उपसकर की उठाई–धराई और अनुसरण से परिचित हो। (2) प्राणिविज्ञान संबंधी स्थिरीकर और अभिरंजन (स्टेन) तैयार करने का ज्ञान; (3) हिन्दी पढने और लिखने की योग्यता। **टिप्पण** :– अनुभव संबंधी अर्हता (अहर्ताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदाय के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्त या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्त या आमेलन किया जाएगा
8	9	10	11
आयु: नहीं। शैक्षिक अर्हताएं: नहीं, किन्तु विज्ञान के साथ कम से कम मैट्रिकुलेशन की शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत । वेतन बैंड–1, 5200–20,200 रू और ग्रेड वेतन 1800 रू में अन्य समूह "ग" पदधारियों में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा 25 प्रतिशत ।	प्रोन्नति:– (1) श्रेणी में तीन वर्ष सेवा करने वाले फील्ड सहायकों में से 50 प्रतिशत। (2) वेतन बैंड– 1, 5200–20,200 रू और ग्रेड वेतन 1800 रू में समूह "ग" ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की हो, ऐसे सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा 25 प्रतिशत ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
दोनों प्रोन्नति या पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति–समिति । (i) निदेशक, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण,कोलकाता — अध्यक्ष; (ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडे वर्ग के लिए सम्पर्क अधिकारी – सदस्य; (iii) भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण का विभागीय अध्यक्ष – सदस्य; (iv) भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण का विभागीय अध्यक्ष – सदस्य;	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 02–014/2012–सी.एस.जैड]

जेरोम मिंज, उप-सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2013

G.S.R. 718 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Central Service Class- III posts) Recruitment Rules, 1963, in so far as they relate to the post of Laboratory Assistant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Laboratory Assistant in the Zoological Survey of India under the Ministry of Environment and Forests, namely:—

1. **Short title commencement**—(1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forest, the Zoological Survey of India (Laboratory Assistant), (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.** – The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**– No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay,pay scale.	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laboratory Assistant	*48 (2013) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group -'C' Posts, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-I Rs. 5,200-20,200/- plus grade pay Rs. 2,000/-	Non-Selection	Not exceeding 27 years (relaxable for Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, union territories of Andaman & Nicober Islands and Lakshadweep. Note 2: In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential : (i) Higher Secondary (10+2 years course) or equivalent with Biology as one of the subjects from a recognised Board of University. **Desirable :** (i) Familiarity with handling and maintenance of equipment in a zoological laboratory. (ii) Knowledge of preparing zoological fixatives and stains. iii) Ability to read and write Hindi. **Note** : Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidate belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age: No Educational Qualification : No, but must possess at least the educational qualification of Matriculation with Science or equivalent.	Two years for direct recruits.	50 % by Direct Recruitment through SSC. 25 % by limited Departmental Competitive Examination among other Group-'C' incumbents in pay band-1 of Rs.5200-20,200/- plus grade pay Rs.1800.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion : i) 50% from Field Assistant with 3 years' service in the grade. ii) 25% by Limited Departmental Competitive Examination among other Group-'C' incumbents in PB-I of Rs.5200-20,200 with GP Rs.1800 having 3 years service in the grade.	**Group'C' Departmental Promotion Committee for both Promotion or confirmation :** 1. Director, Zoological Survey of India Kolkata -Chairman 2. Liaison Officer for the Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class -Member 3. Head of Office, Botanical Survey of India or Geological Survey of India -Member 4. Head of Office, Zoological Survey of India. -Member	Not applicable.

[F. No. 02-14/2012-csz]

JEROME MINZ, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.